UPMT010016272011

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-10, मथुरा

उपस्थित-अवनीश कुमार पाण्डेय, उच्चतर न्यायिक सेवा

J.O.Code- U.P. **1686**

सत्रवाद संख्या -54/2011

राज्य बनाम भानू प्रताप आदि

धारा-307,323,504 भा०दं०सं०

थाना-वृन्दावन, जनपद-मथुरा

06-12-2022

प्रकरण पेश हुआ। पुकार पर अभियुक्त भानु प्रताप मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है, शेष अभियुक्तगण हरेन्द्र एवं कृष्ण कुमार की हाजिरी माफी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, न्यायहित में द्वारा अधिवक्ता आज के लिए स्वीकृत।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र 175 ख अन्तर्गत धारा-216 दं०प्र०सं० पर बल दिया गया।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 175 ख अन्तर्गत धारा-216 दं०प्र०सं० -

1- प्रार्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र 175 ख अन्तर्गत धारा-216 दं०प्र०सं० मुख्यतः इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि- प्रस्तुत मुकदमे में वादी घटना का चुटैल है, दिनांक 16-05-2010 को दिन के करीब 11-00 बजे जब वह अपने घर के सामने सरकारी खरंजे को ठीक करा रहा था, तब अभियुक्तगण भानुप्रताप, कृष्ण कुमार, हरेन्द्र व रनपबल अपने हाथों में पौना बन्दूक, तमन्चा, लाठी ले कर आये तथा उसे जान से मारने की नीयत से गोली चलायी , जिससे वादी को आग्नेय अस्त्र की गम्भीर चोटें आयीं तथा चन्द्रवीर के साथ लाठी से मारपीट की जिससे चन्द्रवीर को भी काफी चोटें आयी थीं। इस घटना की रिपोर्ट उसने थाना -वृन्दावन पर मु०अ०सं०-454/2010 धारा-307,323 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दर्ज कराया था तथा पुलिस द्वारा आवेदक व चन्द्रवीर की चोटों का चिकित्सीय परीक्षण सरकारी अस्पताल मथुरा में कराया गया तथा विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त मामले में अन्तर्गत धारा-307,323,504,325 भा०दं०सं० आरोप पत्र प्रेषित किया गया एवं न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण पर धारा-307,323,325,504, भा०दं०सं० आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 16-05-2010 को सरेआम दिन के 11-00 बजे लोक मार्ग पर घटना कारित की गयी थी जिससे रास्ते में चलने वाले लोगों को काफी समय तक बाधा रही थी तथा लोगों का जन जीवन संकट में हो गया था। विवेचक के द्वारा एकत्रित साक्ष्य व साक्षीगण के न्यायालय में हुये कथनों के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा-283,288 भा०दं०सं० का अपराध बनता है। अतः उक्त धाराओं में अभियुक्तगण पर अतिरिक्त आरोप विरचित किये जाने का याचना किया गया है।

2- वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र अनापत्ति की गयी है, जब कि विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की ओर से यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा -307 भा०दं०सं० के अपराध में आरोप विरचित किया गया है। अभियुक्तगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जिन धाराओं में अतिरिक्त आरोप विरचित किये जाने का याचना किया गया है , उन सभी धाराओं में

Digitally signed by Avanish Kumar Pandey
Date: 2022.12.14 16:35:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्राविधानित दण्ड, धारा-307 भा०दं०सं० में प्राविधानित दण्ड से कम हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

3- वादी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

4- अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 16-05-2010 को समय करीब 11-00 बजे दिन अभियुक्तगण द्वारा एकराय हो कर सामान्य आशय की पूर्ति में घटना कारित किये जाने तथा अवैध तमन्चों से लैस होकर घर में घुस कर गृहअतिचार कर मारपीट तथा अवैध आग्नेयास्त्र से जान से मारने की नीयत से फायर किये जाने के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा दिनांक 18-06-2011 को आरोप अन्तर्गत धारा-307/34,325/34,504 भा०दं०सं० विरचित किया गया है।

5- यहॉं धारा-222 दं०प्र०सं० के प्राविधान का उल्लेख किया जाना आवश्यक है-

''222. जब वह अपराध, जो साबित हुआ है, आरोपित अपराध के अन्तर्गत है.-(1) जब किसी व्यक्ति पर ऐसे अपराध का आरोप है जिसमें कई विशिष्टियां हैं, जिनमें से केवल कुछ के संयोग से एक पूरा छोटा अपराध बनता है ओर ऐसा संयोग साबित हो जाता है किन्तु शेष विशिष्टियां साबित नहीं होती हैं तब वह उस छोटे अपराध के लिये दोषसिद्ध किया जा सकता है यद्यपि उस पर उसका आरोप नहीं था।

(2) जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया है और ऐसे तथ्य साबित कर दिए जाते हैं, जो उसे घटा कर छोटा अपराध कर देते हैं तब वह छोटे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है यद्यपि उस पर उसका आरोप नहीं था।

(3) जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप है तब वह उस अपराध को करने के प्रयत्न के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है यद्यपि प्रयत्न के लिए पृथक् आरोप न लगाया गया हो।

(4) इस धारा की कोई बात किसी छोटे अपराध के लिए उस दशा में दोषसिद्ध प्राधिकृत करने वाली न समझी जाएगी जिसमें ऐसे छोटे अपराध के बारे में कार्यवाही शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें पूरी नहीं हुई हैं।''

6- इस प्राविधान के अनुसार जिन धाराओं में अतिरिक्त आरोप विरचन चाहा गया है, उनमें धारा-283 भा०दं०सं० दो सौ रूपये अर्थ दण्ड एवं धारा-288 भा०दं०सं० छः माह के लिए कारावास, या एक हजार रूपए अर्थदण्ड, या दोनों, मात्र से दण्डनीय हैं, जबकि अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा-307 भा०दं०सं० का आरोप विरचित किया गया है, जिसमें उक्त धाराओं से दस वर्ष के कारावास/आजीवन एवं जुर्माना के दण्ड का प्राविधान है।

7- अभियोजन की ओर से तथ्य के चारों साक्षीगण परीक्षित कराये जा चुके है , इन साक्षीगण ने मुख्य परीक्षा तथा प्रति परीक्षा में घटनास्थल सार्वजनिक स्थान तालाब होने का कथन किया है। मात्र औपचारिक साक्षीगण प्रस्तुत कराये जाने हेतु शेष है। यह सत्रवाद एक्शन प्लान में चिन्हित अति् प्राचीन श्रेणी का है, जिसकी निगरानी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की जा रही है। इस प्रकार उपरोक्त प्रार्थना पत्र सत्रवाद की कार्यवाही को विलम्बित करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

8- इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि उक्त मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा-283,288 भा०दं०सं० के अन्तर्गत अतिरिक्त आरोप विरचित किये जाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है।

9- अतः उक्त विवेचन एवं विधिक प्राविधान के आलोक में तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रार्थना पत्र 175 ख निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र 175 ख निरस्त किया जाता है। अभियोजन साक्षी डा० एम० बंसल जरिये सम्मन तलब हों।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक 13-12-2022 को पेश हो।

दिनांकः 06-12-2022

(अवनीश कुमार पाण्डेय)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-10, मथुरा
J.O.Code- U.P. **1686**